10

पत्रांक–3प/मु०म०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–1)/8284/पं०रा०

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक:–29/8/2022

विषयः– पंचायती राज विभाग अन्तर्गत 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि के ग्राम पंचायतों द्वारा अंतरण की व्यवस्था एवं प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के लिए निर्धारित अनुरक्षण दायित्व को क्रियान्वित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना/मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त टाईड एवं अनटाईड मद में उपबंधित राशि का उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन विभिन्न विभागीय पत्रों के माध्यम से दिया गया है।

इसी प्रकार षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा द्वारा प्रदत्त राशि से विभिन्न उपबंध आधारित प्रक्रम में व्ययगत राशि एवं उनके अंतरण से संबंधित दिशा–निर्देश भी विभागीय संकल्प सं०–5164 दिनांक–13.08.2021 द्वारा निर्गत है।

उल्लेखनीय है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की प्रदत्त राशि को ग्राम पंचायतों के स्तर से योजना क्रियान्वयन इकाई–सह–वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में PFMS प्रणाली के माध्यम से अंतरण नहीं की जा सकी है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपने स्तर से सभी संबंधित ग्राम पंचायतों को निदेशित किया जा सकता है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माँग के अनुरूप PFMS प्रणाली के तहत योजना क्रियान्वयन इकाई–सह–वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में निर्धारित समय–सीमा एक सप्ताह के अन्दर राशियों के अंतरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति उपरोक्त राशि से प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत आवश्यकताजनित लघु मरम्मति सहित, पेयजलापूर्ति योजना सुनिश्चित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि कतिपय प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के चयन एवं उनकी उपलब्धिता स्थानीय तौर पर प्राप्त नहीं हो पाने की शिकायत विभाग को विभिन्न माध्यमों से संसूचित की जा रही है।

उपर्युक्त के आलोक में पुनः यह निदेशित किया जाता है कि वैसे प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी जो स्थानीय स्तर के नहीं हैं, उनके स्थान पर सर्वथा सुलभ स्थानीय प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी का चयन कर चयनित अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से पेयजल

F:\Letters.docx 224

क्र०पृ०उ०..

आपूर्ति से संबंधित कार्यों को अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने का युक्तिसंगत निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०म०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–1)/8284/पं०रा०पटना, दिनांक 29/8/2022
प्रतिलिपिः–सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

F:\Letters.docx 225